भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2064

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण

2064. डॉ. संबित पात्रा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के किनारों पर पेड़ लगाने और उन्हें हरा-भरा बनाने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के लक्ष्यों और रखरखाव के मापदंडों के अनुपालन के लिए की गई निगरानी और निरीक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण में लापरवाही बरतने के लिए ठेकेदारों को दंडित करने अथवा उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हे पुरस्कृत करने के लिए कोई नीति कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के किनारों पर पेड़ लगाने और उन्हें हरा-भरा बनाने के लिए हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति, 2015 तैयार की है।

यह नीति राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे, जहां भी संभव हो, एवेन्यू और मीडियन में वृक्षारोपण, लैंडस्केपिंग, सौंदर्यीकरण और प्रत्यारोपण से संबंधित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कार्बन प्रच्छादन, धूल और शोर को कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार और रोजगार के अवसर सृजित करना है। नीति में उपयुक्त स्थानीय प्रजातियों के वृक्षारोपण, निर्धारित अवधि तक वृक्षारोपण के रखरखाव, सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वयं सहायता समूहों सहित एजेंसियों की भागीदारी और प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के उपयोग का प्रावधान है।

(ख) वृक्षारोपण और रखरखाव कार्यों की निगरानी एक बहुस्तरीय तंत्र के माध्यम से की जाती है। परियोजना निदेशक/कार्यान्वयन इकाइयाँ और क्षेत्रीय कार्यालय वृक्षारोपण, पौधों के जीवित रहने की दर और रखरखाव को सत्यापित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करते हैं।

स्वतंत्र इंजीनियर/प्राधिकारी इंजीनियर उन परियोजनाओं में अनुपालन की निगरानी करते हैं जिनमें वृक्षारोपण सिविल अनुबंधों का हिस्सा होता है। वृक्षारोपण की प्रगति की सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) 'एनएचएआई हरित राजमार्ग उत्कृष्टता अवार्ड्स' वृक्षारोपण के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देते हैं, जो पौधों के जीवित रहने की दर, मजबूती और मानक विशिष्टताओं के पालन पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत, लापरवाहीपूर्ण व्यवहार के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाते हैं।

कार्य निष्पादन में कमी, रखरखाव में खामी या निर्धारित उत्तरजीविता प्रतिशत प्राप्त करने में विफलता की स्थिति में, संविदा के प्रावधानों के अनुसार भुगतान रोक दिया जाएगा, लागत की वसूली की जाएगी, संविदाकार के जोखिम और लागत पर सुधार किया जाएगा, संविदात्मक क्षतिपूर्ति/जुर्माना लगाया जाएगा और संविदा की शर्तों के अनुसार अन्य उपाय किए जाएंगे। भुगतान वृक्षारोपण की सफल स्थापना और रखरखाव से जुड़े होते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण' के संबंध में डॉ. संबित पात्रा के द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2064 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत 3 वर्षों (2023-24 **से** 2025-26) **के दौरान प्रस्तावित और किए गए वृक्षारोपण (पौधों की सं.) का विवरण**								
राज्य	**वर्ष** 2023-24		**वर्ष** 2024-25		**वर्ष** 2025-26		**3 वर्ष का कुल**	
	प्रस्तावित (पौधों की सं. लाख में)	**लगाए गए (पौधों की सं. लाख में)**	**प्रस्तावित (पौधों की सं. लाख में)**	**लगाए गए (पौधों की सं. लाख में)**	**प्रस्तावित (पौधों की सं. लाख में)**	**लगाए गए (पौधों की सं. लाख में)**	**प्रस्तावित (पौधों की सं. लाख में)**	**लगाए गए (पौधों की सं. लाख में)**
आंध्रप्रदेश	1.27	1.14	1.70	2.11	4.01	4.29	6.98	7.53
असम	1.04	0.85	0.92	0.43	0.27	0.32	2.23	1.61
बिहार	3.19	2.38	4.88	3.85	2.20	2.12	10.27	8.36
छत्तीसगढ़	0.71	1.17	0.52	1.10	1.29	2.11	2.52	4.38
दिल्ली	3.66	3.60	3.65	8.95	3.58	3.80	10.89	16.35
गुजरात	4.22	3.69	5.79	5.83	5.56	5.55	15.58	15.06
हरियाणा	2.22	2.98	4.52	5.59	4.13	4.34	10.86	12.92
हिमाचल प्रदेश	0.31	0.32	0.44	0.64	0.49	0.64	1.23	1.59
जम्मू और कश्मीर	1.43	0.76	1.09	1.18	1.33	1.45	3.85	3.40
झारखंड	0.76	0.92	0.99	1.01	1.16	1.21	2.91	3.14
कर्नाटक	2.33	2.23	2.55	2.79	1.92	2.03	6.79	7.05
केरल	0.17	0.18	0.06	0.02	0.10	0.06	0.33	0.26
मध्यप्रदेश	6.20	7.04	8.10	8.49	4.08	4.51	18.38	20.05
महाराष्ट्र	5.09	5.25	3.86	4.10	2.16	2.72	11.11	12.07
ओडिशा	2.00	2.68	2.50	2.53	2.98	3.09	7.48	8.30
पंजाब	2.05	2.33	4.34	4.36	4.38	4.51	10.78	11.20
राजस्थान	7.71	8.10	4.12	4.45	3.15	3.99	14.98	16.53
तमिलनाडु	3.80	2.62	3.66	4.20	2.48	3.22	9.95	10.03
तेलंगाना	1.16	0.74	1.33	0.78	2.08	1.96	4.57	3.48
उत्तर प्रदेश	4.70	4.81	3.06	3.53	3.63	4.07	11.38	12.42
उत्तराखंड	0.71	0.56	0.47	0.39	0.42	0.31	1.60	1.26
पश्चिमबंगाल	1.32	1.72	1.51	1.14	0.61	0.66	3.44	3.52
कुल	56.03	56.08	60.07	67.47	52.00	56.97	168.10	180.52
